

मैनुअल-10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक परिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

1. ऊर्जा विभाग में पदस्थ मंत्रालयीन कर्मचारियों को म.प्र. शासन के नियमों के अंतर्गत वेतन सुविधाएँ इत्यादि पात्रतानुसार देय है जिसका विवरण सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट-

<http://www.mp.gov.in/gad/salary.asp> पर उपलब्ध है

2. ऊर्जा विभाग में विद्युत कंपनियों से सलंगन अधिकारियों/कर्मचारियों को देय वेतन एवं सुविधाएँ इत्यादि संबंधित कंपनियों के नियमों के अनुसार देय है जिसका विवरण विद्युत कंपनियों की निम्नानुसार वेब-साईट पर उपलब्ध है-

<https://mppgcl.mp.gov.in/>

<https://www.mptransco.in/>

<https://www.mpez.co.in/>

<https://www.mpcz.co.in/>

<https://www.mpwz.co.in/>

बजट विवरण

(राशि रु. करोड़ में)

क्र.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24 ऊर्जा
	राजस्व मद	
1	टैरिफ सब्सिडी -7313	1,436.00
2	निःशुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति -5855	5,775.00
3	मुख्यमत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम(समाधान योजना)-2361	-
4	सरल बिजली बिल स्कीम-2362	-
5	अटल गृह ज्योति योजना-5378	4,690.0000
6	अटल कृषि ज्योति योजना-5381	11,520.0000
	योग	23,421.00
7	15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता योजना-7837	3,000.00
8	व्हीलिंग सब्सिडी-7861	-
	योग	3,000.00
9	उदय योजना के तहत वितरण कंपनी की हानियों का अधिग्रहण-5309	0.0001
	योग	0.0001
	कुल राजस्व	26,421.00
I	पावर जनरेटिंग कंपनी	
1	श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (2X660 मेगावाट) जिला खण्डवा -6323	50.00
2	अमरकंटक ताप विद्युत गृह विस्तार इकाई (1X250 मेगावाट) -7253	21.00
3	सारणी ताप विद्युत गृह विस्तार इकाई (1X660 मेगावाट) -7254	50.00
4	ताप विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण हेतु बिजली बोर्ड को अन्य उधार -5336	30.00
5	म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी के वर्तमान विद्युत गृहों में सोलर पावर पेनल की स्थापना (95.58 मे.वा.)-5332	0.0001
6	सजय गांधी संजय गांधी ताप विद्युत गृह इकाई क4 का आधुनिकीकरण - 9546	0.00
7	गांधी सागर जल विद्युत गृह - 9656	12.00
	योग	163.00
II	पारेषण कंपनी	
1	बाह्य पोषित परियोजना (एडीबी-3) -1284, 1949	6.3801
2	पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण -6929	23.00
3	जायका -6929, 1937	60.00
4.	ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर बाह्य पोषित परियोजना -0700	20.00
	योग	109.38
III	वितरण कंपनी	
1	उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण -7900	565.00
2	15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता योजना-7837	3,935.00
3	स्टार्ट मीटर एवं स्काडा -अंशपूर्जी / ऋण -9654 / 9655	50.00
4	RDSS योजना	3,526.06
	योग	8,076.06
	योग कंपनी	34,769.44
	CE ELECTRICAL SAFTEY	648.5172
	कुल योग	35,417.958

मैनुअल-12

अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रम

(अ) राज्य में विद्युत के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय लिये जाते रहे हैं। ऊर्जा विभाग द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 2010 को मध्यप्रदेश (इन्वेस्टमेंट इन पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स) पॉलिसी, 2010 जारी की गयी है।

(ब) राज्य में निजी पूजी निवेश पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किये जाने हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर उसके प्रबंधन हेतु " मध्यप्रदेश राज्य (ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना) भूमि प्रबंधन नियम, 2011" जारी किए गए हैं।

(स) राज्य सरकार ने लोकहित में राज्य की जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से विद्युत की खपत पर लगने वाले विद्युत शुल्क की दरों का युक्तियुक्तकरण करने हेतु मध्यप्रदेश विधान सभा के मानसून सत्र में मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जिसका लाभ राज्य की जनता को मिलना शुरू हो गया है। इसी प्रकार बिजली की खपत पर उपकर की राशि को भी समाप्त किया है।

(द) आरडीएसएस योजना: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय रूप से साध्य एवं परिचालन में दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत पूर्ति के उद्देश्य से सुधारों से जुड़े परिणाम आधारित वितरण क्षेत्र योजना रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) लागू

की गई है योजना का मुख्य उद्देश्य वितरण कंपनियों की समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करना तथा बिजली की प्रति यूनिट लागत तथा राजस्व के अंतर को समाप्त करना है। आरडीएसएस योजना में अधोसंरचना विकास कार्यो हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। उक्त योजना अंतर्गत राज्य की तीनों वितरण कंपनियों द्वारा किये जाने वाले लगभग रूपये 24170 करोड की कार्य योजना हेतु राज्य शासन द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। इस योजना को वर्ष 2025-26 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग एवं सिस्टम मीटरिंग, वितरण हानियों में कमी हेतु प्रस्तावित कार्य एवं प्रणाली सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य शामिल है।

(इ) अटल गृह ज्योति योजना- राज्य शासन द्वारा दिनांक 19.8.2019 को लिये गये निर्णय अनुसार वर्तमान मे लागू अटल गृह ज्योति योजना में प्रदेश के ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट तक है। पात्र उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट की खपत हेतु अधिकतम 100 रूपये का बिल दिया जा रहा है एवं अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में वितरण कंपनियों को दी जा रही है। ऐसे उपभोक्ताओं को 101 से 150 यूनिट खपत के लिए म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश अनुसार दरें लागू होगी। योजना के अंतर्गत 100 वाट तक के संयोजित भार के 30 यूनिट तक की मासिक खपत वाली उपभोक्ता श्रेणी एल.व्ही. 1.1 के अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले उपभोक्ताओं को प्रति माह 25 रूपये का बिल दिया जा रहा है एवं अंतर की राशि

राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जा रही है। इस योजना से प्रदेश के लगभग 85 प्रतिशत से अधिक घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं।

(ई) अटल कृषि ज्योति योजना - अटल ज्योति योजना के अंतर्गत 10 हार्सपावर तक के अनमीटर्ड स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को 750 रुपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष एवं 10 हार्सपावर से अधिक के अनमीटर स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को 1500 रुपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष की फ्लेट दर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। साथ ही मीटरयुक्त स्थाई कृषि पंप कनेक्शन एवं अस्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को भी मासिक नियत प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार में रियायत दी गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों से अंतर की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में किया जा रहा है। इस योजना से लगभग 26 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं।

(क) निःशुल्क विद्युत प्रदाय:- राज्य शासन द्वारा 1 हेक्टेयर तक भूमि एवं 5 हार्सपावर तक के कृषि पंप वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत लगभग 9.35 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं।

(ख) स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना (ओ.वाय.टी.) - राज्य शासन द्वारा कृषकों को शीघ्र स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन दिये जाने के उद्देश्य से " स्वयं का ट्रांसफार्मर" लगाये जाने की योजना लागू है। इस योजना में किसान अपने व्यय से, निर्धारित मापदंड के अनुसार ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकते हैं। इस योजना के

अंतर्गत कृषकों को समूह में भी ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(ग) मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना-2022 - प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण प्रदेश के निम्न आय वर्ग वाले घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों के भुगतान में आ रही कठिनाई के दृष्टिगत ऐसे उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 1 किलोवॉट के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं की अगस्त, 2020 तक की स्थिति में बकाया राशि की वसूली को आस्थगित किया गया था। तत्पश्चात् "मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना - 2022" लागू करते हुए उपरोक्तानुसार आस्थगित राशि को पूर्णतः माफ कर दिया गया। इस योजना से कमजोर आय वर्ग के 88 लाख उपभोक्ताओं की लगभग रू. 5334 करोड़ बकाया राशि माफ की गई। माफ किए गए अधिभार की पूर्ण राशि एवं माफ की गई मूल राशि का 50 प्रतिशत वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जायेगा तथा मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा एवं इसके एवज में वितरण कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी।

लोक अदालतों में राज्य की वितरण कंपनियों द्वारा दी गयी छूट

लोक अदालतों में राज्य की वितरण कंपनियों द्वारा दी गयी छूट निम्नानुसार है-

Lok Adalat Rebate Amount List of Poorv Kshetra

No.	Year	National Lok Adalat Date	Rebate Amount (in lakh)
1	2011	up to year 2011	256.64
2	2012	15.12.2012	312.02
3	2013	21.09.2013	367.87
4	2013	30.11.2013	460.62
5	2014	13.12.2014	403.62
6	2015	25.07.2015	291.12
7	2015	12.12.2015	339.08
8	2016	30.07.2016	286.23
9	2016	12.11.2016	148.20
10	2017	11.02.2017	291.85
11	2017	08.04.2017	170.78
12	2017	08.07.2017	209.93
13	2017	09.09.2017	311.06
14	2017	09.12.2017	267.51
15	2018	22.04.2018	160.80
16	2018	14.07.2018	298.43
17	2018	08.09.2018	2107.03
18	2018	08.12.2018	84.05
19	2019	09.03.2019	120.50
20	2019	13.07.2019	199.83
21	2019	14.09.2019	131.99
22	2019	14.12.2019	244.70
23	2020	08.02.2020	169.41
24	2020	12.12.2020	350.58
25	2021	10.07.2021	395.10
26	2021	11.09.2021	239.63
27	2021	11.12.2021	361.99
28	2022	12.03.2022	473.56
29	2022	14.05.2022	254.61
30	2022	13.08.2022	318.37
31	2022	12.11.2022	320.20
32	2023	11.02.2023	213.79
33	2022	13.05.2023	228.74
34	2022	09.09.2023	193.27
35	2023	09.12.2023	196.21
Total			11179.32

GM(Enforcement)
MPPKWVCL Jabalpur

Rebate Under National Lok Adalat (2018-2019 to 2023-2024) MPCZ Bhopal

S.no	Region	Rebate Granted (In Lakh)			Total Amt.
		Rebate in civil liability Amt.(Litigation and Prelitigation)		Rebate in Intrest (100%) (litigation and prelitigation)	
		No.	Amt.		
1	Bhopal	67177	1931.67	2217.35	4149.02
2	Gwalior	50590	2866.62	769.46	3636.08
Total		117767	4798.29	2986.81	7785.10

h
09.01.22

लोक सूचना अधिकारी एवं
उपमहाप्रबंधक (प्रशासन)
कार्यालय प्रबंध संचालक
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल

West Dycem Indore
लोक अदालतों में कंपनी स्तर पर निराकृत प्रकरणों एवं छूट का विवरण

क्र.	लोक अदालत दिनांक	निराकृत प्रकरण (लिटिगेशन)										निराकृत प्रकरण (बी-लिटिगेशन)										कुल दी गई छूट (लाख में)	कुल निराकृत संख्या	राशि (लाख में)	कुल दी गई छूट (लाख में)	कुल निराकृत संख्या	राशि (लाख में)	लोक अदालत की छूट का प्रतिशत (प्रतिशत में)
		इंदौर क्षेत्र		उज्जैन क्षेत्र		दी गई छूट (लाख में)		इंदौर क्षेत्र		उज्जैन क्षेत्र		दी गई छूट (लाख में)		इंदौर क्षेत्र		उज्जैन क्षेत्र		दी गई छूट (लाख में)										
		संख्या	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)							
1	13/12/2014	2008	212.64	1917	18.92	348	62.34	321	8.50	2356	274.98	2238	27.42	451	41.36	428	10.12	403	34.73	378	7.28	854	76.09	806	17.40	25%		
2	25/07/2015	601	67.46	591	5.28	485	88.18	415	10.12	1086	155.64	1006	15.40	743	53.04	705	15.12	376	68.97	318	9.13	1119	122.01	1023	24.25	25%		
3	12/12/2015	1035	112.20	847	44.30	469	62.22	290	14.90	1504	174.42	1137	59.20	936	82.11	325	9.58	636	77.22	609	37.64	1572	159.33	934	47.22	25%		
4	30/07/2016	518	46.37	208	6.5	278	23.49	238	7.50	796	69.86	446	14.00	411	40.21	335	12.27	375	33.57	369	9.47	786	73.78	704	21.74	25%		
5	12/11/2016	673	119.85	484	16.85	439	48.36	325	8.47	1112	168.21	809	25.32	325	27.46	312	18.31	482	31.25	431	11.13	1807	58.71	743	29.44	25%		
6	11/02/2017	413	65.27	354	18.72	440	64.24	364	16.93	853	129.51	718	35.65	1233	155.91	1218	46.71	604	110.06	470	39.60	1837	265.97	1688	86.31	25%		
7	08/04/2017	283	60.58	163	14.59	379	49.94	270	10.23	662	110.52	433	24.82	648	93.34	638	34.39	150	26.28	149	11.56	798	119.62	787	45.95	25%		
8	08/07/2017	418	50.06	412	11.49	414	50.26	347	14.65	832	100.32	759	26.14	778	90.26	750	28.96	344	46.49	316	17.01	1122	136.75	1066	45.97	25%		
9	09/09/2017	454	58.49	432	17.99	496	68.62	388	15.07	950	127.11	820	33.06	696	102.06	682	42.47	384	35.62	231	14.44	1080	137.68	913	56.91	25%		
10	09/12/2017	473	54.97	469	14.09	746	99.07	421	15.38	1219	154.04	890	29.47	1006	112.34	908	47.93	582	52.03	266	15.12	1588	164.37	1174	63.05	25%		
11	22/04/2018	286	38.87	281	11.95	439	48.51	300	12.41	705	87.38	581	24.36	276	34.14	259	12.05	174	24.87	151	20.75	450	59.01	410	32.80	25%		
12	10/02/2018	590	84.24	484	16.85	439	48.36	325	8.47	1029	132.60	809	25.32	568	77.58	524	23.85	268	36.33	232	9.84	836	113.91	756	33.69	25%		
13	14/07/2018	622	35.21	618	58.08	452	71.81	170	4.05	1074	107.02	788	62.13	319	32.34	319	18.08	188	34.92	65	4.06	507	67.26	384	22.14	25%		
14	08/09/2018	55	80.04	34	0.66	378	56.71	29	1.45	433	136.75	63	2.11	95	16.03	23	5.05	1171	160.00	374	4.28	1266	176.03	397	9.33	25%		
15	08/12/2018	413	65.27	104	4.39	440	64.24	142	8.04	853	129.51	246	12.43	1233	155.91	383	14.07	604	110.04	108	5.67	1837	265.95	491	19.74	25%		
16	09/03/2019	276	59.17	278	17.59	324	41.13	253	9.73	600	100.30	531	27.32	182	26.38	169	12.47	230	33.71	191	11.31	412	60.09	360	23.78	25%		
17	13/07/2019	203	40.23	183	7.69	336	51.91	282	10.09	539	92.14	465	17.78	263	38.49	247	13.59	361	42.54	320	13.20	624	81.03	567	26.79	25%		
18	14/09/2019	146	28.48	142	7.67	179	26.71	164	8.62	325	55.19	306	16.29	478	48.15	406	16.59	801	138.23	353	22.31	1279	186.38	759	38.90	25%		
19	14/12/2019	401	77.25	398	30.94	355	54.90	331	13.47	756	132.15	729	44.41	1378	163.05	1305	50.98	642	68.65	495	24.85	2020	231.70	1800	75.83	25%		
20	08/02/2020	236	41.40	236	13.65	165	30.23	152	6.12	401	71.63	388	19.77	643	85.14	641	29.38	748	71.07	429	20.49	1391	156.21	1070	49.87	25%		

Executive Engineer (Vig.)
O/o. Chief Vigilance Officer
M.P. K.V.V. Co.Ltd., INDORE.

क्र.	लोक अदालत दिनांक	निराकृत प्रकरण (लिटिगेशन)												निराकृत प्रकरण (पी-लिटिगेशन)				लोक अदालत अर्थात् ई-स्ट्रेट का प्र								
		ईदोर क्षेत्र		दी गई छुट (लाख में)		उज्जैन क्षेत्र		कुल निराकृत		कुल दी गई छुट (लाख में)		ईदोर क्षेत्र		दी गई छुट (लाख में)		कुल निराकृत		कुल दी गई छुट (लाख में)								
		संख्या	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)							
21	11/04/2020	132	24.67	132	7.30	352	64.37	330	16.34	484	89.04	462	23.64	1259	178.68	1251	77.91	1261	148.63	1097	65.53	2520	327.31	2348	143.44	25%
22	11/07/2020																									
23	12/12/2020																									
24	10/04/2021																									
25	10/07/2021	213	48.95	213	9.46	640	101.18	573	17.126	853	150.13	786	26.59	578	99.67	572	29.82	633	82.96	565	22.19	1211	182.63	1137	52.01	20%
26	11/09/2021	155	28.51	147	6.53	515	80.00	469	14.95	670	108.51	616	21.48	482	69.53	480	24.43	1209	151.61	1112	47.14	1691	221.14	1592	71.57	20%
27	11/12/2021	266	63.76	231	30.5	722	130.22	191	38.34	988	193.98	422	68.84	568	80.46	522	27.87	586	85.23	522	25.22	1154	165.69	1044	53.09	20%
28	12/03/2022	273	53.45	273	14.56	642	110.42	505	20.65	915	163.87	778	35.21	560	79.28	550	28.95	732	101.64	623	23.08	1292	180.92	1173	52.03	20%
29	14/05/2022	242	53.55	242	7.4	430	83.57	430	14.21	672	137.12	672	21.61	280	45.3	280	12.23	730	78.66	730	21.24	1010	123.96	1010	33.47	20%
30	13/08/2022	258	56.70	232	11.34	573	102.59	516	20.52	831	159.29	748	31.86	209	39.07	188	11.72	506	73.30	455	21.99	715	112.37	643	33.71	20%
31	12/11/2022	498	95.38	398	15.26	577	155.12	542	24.82	1175	250.50	940	40.08	333	62.78	766	15.07	573	87.27	458	20.94	906	150.05	724	36.01	20%
32	11/02/2023	403	68.60	202	7.61	520	84.33	260	8.43	923	152.93	462	16.04	415	60.21	208	9.03	423	63.42	217	9.51	848	123.63	425	18.54	20%
33	13/05/2023	349	69.73	303	21.6	444	105.98	366	20.5	793	175.71	669	42.10	298	64.21	207	20.36	520	79.94	413	22.82	818	144.15	620	43.18	20%

Covid-19 महामारी के कारण लोक अदालत स्थगित

Covid-19 महामारी के कारण लोक अदालत स्थगित

Executive Engineer (Vig.)
 O/o. Chief Vigilance Officer
 M.P.P.K.V.Co.Ltd., INDO